पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जुलाई, 2021 ई0 (आषाढ़ 19, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–28

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	411–414	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	253–260	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	217–241	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

01 जून, 2021 ई0

संख्या 1037/III(1)/2021-100(अधि0)2009–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री सुरेन्द्र मखलोगा को नियमित चयनोपरान्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल), वेतनमान रू0 67,700–2,06,700 (सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल–11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– श्री सुरेन्द्र मखलोगा को अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र मखलोगा की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

24 मई, 2021 ई0

संख्या 855/XX-3-2021-05(17)2013–राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) 1973 की धारा–11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल की संस्तुति पर साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, देहरादून में पंजीकृत मामलों के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट–II, देहरादून को विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

31 मई, 2021 ई0

संख्या 430/21-XIX-2/44 खाद्य/2011—श्री वेद प्रकाश धूलिया, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी जिनकी जन्मतिथि अभिलेखानुसार दिनांक 24.05.1961 है, की 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु दिनांक 31.05.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप नियमानुसार श्री धूलिया दिनांक 31.05.2021 को अपरान्ह से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जायेगें।

सुशील कुमार,
सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

31 मई, 2021 ई0

संख्या 443 / VII-A-2/2021/19–सिडकुल/2017– रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक पार्क योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के सितारगंज में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जानी है। सितारगंज स्थित औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास विभाग की 40 एकड़ भूमि, जिसका प्रबंधकर्ता सिडकुल है, पर प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाना है। प्लास्टिक पार्क हेतु अधिसूचना सं0–03 / VII-A-2 / 2020, दिनांक 24 जनवरी, 2020 द्वारा SPV (Special Purpose Vehicle) का गठन किया जा चुका है। सम्यक विचारोपरान्त उक्त वर्णित भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु एतद्द्वारा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) सितारगंज स्थित औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास विभाग की 40 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग के स्वामित्व में है जिस पर कोई वित्तीय भार परिलिक्षित होने की सम्भावना नहीं है। यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम में संचालित हो रही है जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना का अनुदान उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराया जाना है। उक्त 40 एकड़ भूमि पर सिडकुल प्लास्टिक पार्क लि0 (SPPL) की स्थापना हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

(2) भारत सरकार के पत्र संख्या–25015 / 09 / 2015–पीसी–II, दिनांक 03.12.2020 द्वारा प्रदान की गयी अंतिम स्वीकृति में भूमि मूल्य को परियोजना लागत में शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की शर्त रखी गयी है। यद्यपि जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 05.12.2020 में अंकित वर्तमान सर्किल रेट रू0 20 लाख प्रति है0 की दर से 40 एकड भूमि का मूल्यांकन रू0 3,23,75,000.00 आता है तथापि प्रबन्ध निदेशक,

सिडकुल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 07.12.2020 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त औद्योगिक विकास विभाग से सम्बन्धित भूमि सिडकुल को एवं तत्पश्चात सिडकुल द्वारा SPV(SPPL) सिडकुल प्लास्टिक पार्क लि0 को शून्य स्टाम्प शुल्क पर हस्तान्तरित करने की सहमति प्रदान की जाती है।

(3) इस हस्तांतरण के उपरान्त, इस हस्तांतरण के सापेक्ष आवश्यक धनराशि हेतु सिडकुल के किसी भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये जो वित्त विभाग के (सम्बन्धित विषय में) नोडल अधिकारी से संपर्क कर वित्त विभाग की पृच्छा के सापेक्ष सिडकुल का पक्ष रखेगा एवं प्रकरण का जल्द निस्तारण करेगा। इस हेतु 2 माह की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल को यथाशीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(4) किसी भी दशा में भूमि का उपयोग Collateral Security हेतु नहीं किया जायेगा।

(5) Project Period के Completion के बाद SIIDCUL के अन्य भूमि के तहत वह (इस) भूमि का First Right राज्य सरकार का होगा।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

सचिन कुर्वे,

सचिव।

गृह अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

28 मई, 2021 ई0

संख्या 505/XX-4/2021-1(37)/2020–उत्तराखण्ड कारागार विभाग में वरिष्ठ कारागार अधीक्षक पर नोशनल पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 20–04–2021 के क्रम में श्री दधिराम, कारागार अधीक्षक वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–1,75,500) को दिनांक 04–06–2015 से वरिष्ठ कारागार अधीक्षक, वेतन लेवल–11 (वेतनमान रू0 67,700–2,08,700) के पद पर पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक द्वारा वर्तमान नियुक्ति स्थान जिला कारागार, देहरादून में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

आज्ञा से,

ओमकार सिंह,

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट / 265–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जुलाई, 2021 ई0 (आषाढ़ 19, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

May 20, 2021

No. 485/III-A-29/2020/SLSA-- Sri R.K. Khulbey, Member Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned earned leave for a period of **19 days w.e.f. 10.04.2021 to 28.04.2021** including suffix of 29.04.2021 to 02.05.2021 as holidays declared by the Hon'ble High Court of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble Executive Chairman

Sd/-

SAYED GUFRAN,

Officer on Special Duty,

Uttarakhand State Legal Services

Authority, Nainital.

NOTIFICATION

May 21, 2021

No. 489/III-A-11/2009/SLSA-- Sri Ashok Kumar, Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for a period of **12 days w.e.f. 07.04.2021 to 18.04.2021.**

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R.K. KHULBEY,

Member Secretary,

Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

Charge Certificate

June 11, 2021

No.2676--CERTIFIED that the Office of the Registrar (Computer), High Court of Uttarakhand Nainital, was taken over after availing medical leave w.e.f. 14-10-2020 to 30-10-2020 in anticipation of sanction of Hon'ble Court of Uttarakhand Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of 31-10-2020.

MANOJ GARBYAL,

Relieved Officer,

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over)

Charge Certificate

June 11, 2021

No.2677--CERTIFIED that the Office of the Registrar (Computer), High Court of Uttarakhand Nainital, has been handed over on proceeding to medical leave w.e.f. 14-10-2020 to 30-10-2020 in anticipation of sanction of Hon'ble Court of Uttarakhand Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of 14-10-2020.

MANOJ GARBYAL,

Relieved Officer,

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

NOTIFICATION

June 10, 2021

No. 224/XIV/93/Admin.A/2003--Sri Sanjeev Kumar, Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 23 days *w.e.f.* 12.05.2021 to 03.06.2021.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 16, 2021

No. 232/XIV-a/53/Admin.A/2015--Ms. Suman, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District-Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 37 days *w.e.f.* 30.04.2021 to 05.06.2021 with permission to suffix 06.06.2021 as Sunday holiday, in terms of office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

June 16, 2021

No. 233/UHC/XIV-a/25/Admin.A/2016--Ms.Bushra Kamal, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 02.06.2021 to 11.06.2021 with permission to suffix 12.06.2021 & 13.06.2021 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

NOTIFICATION

June 16, 2021

No. 234/XIV-10/Admin.A/2008--Ms. Parul Gairola, ADJ/Fast Track Special Court (POCSO), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 15.05.2021 to 29.05.2021 with permission to suffix 30.05.2021 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

June 16, 2021

No. 235/UHC/Admin.A/2021-Shri Dharmendra Kumar Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is conferred with the powers of Drawing and Disbursing Officer (DDO) of the Family Court, Khatima, District Udham Singh Nagar until appointment of regular Presiding Officer of the Family Court, Khatima, District Udham Singh Nagar or till further orders, whichever is earlier.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

June 18, 2021

No. 237/XIV-a-59/Admin.A/2012--Ms. Payal Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned Child care leave for 33 days *w.e.f.* 10.05.2021 to 11.06.2021 with permission to prefix 08.05.2021 & 09.05.2021 as 2nd Saturday & Sunday holiday respectively & suffix 12.06.2021 & 13.06.2021 as 2nd Saturday & Sunday holiday respectively, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

June 18, 2021

No. 238/XIV/02/Admin.A/2006--Sri Sikand Kumar Tyagi, District & Sessions Judge, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 31.03.2021 to 09.04.2021 with permission to suffix 10.04.2021 & 11.04.2021 as Second Saturday & Sunday respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on promotion)

June $\frac{14}{17}$ *, 2021*

No.2783/UHC/Admin.A/2021--CERTIFIED that the charge of Office of the Section Officer, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 14.06.2021, in compliance of Notification 229/UHC/Admin.(A)/2021 dated 14.06.2021 of the High Court of Uttarakhand, Nainital.

ANJU SHARMA,

Relieving Officer.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on promotion)

June 14/17, 2021

No.2784/UHC/Admin.A/2021--CERTIFIED that the charge of Office of the Section Officer, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 14.06.2021, in compliance of Notification 229/UHC/Admin.(A)/2021 dated 14.06.2021 of the High Court of Uttarakhand, Nainital.

RAJEEV KUMAR TEWARI,

Relieving Officer.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on promotion)

June 14/17, 2021

No.2785/UHC/Admin.A/2021--CERTIFIED that the charge of Office of the Section Officer, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 14.06.2021, in compliance of Notification 229/UHC/Admin.(A)/2021 dated 14.06.2021 of the High Court of Uttarakhand, Nainital.

GOVIND BALLABH PANDEY,

Relieving Officer.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on promotion)

June 14/17, 2021

No.2786/UHC/Admin.A/2021--CERTIFIED that the charge of Office of the Section Officer, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 14.06.2021, in compliance of Notification 229/UHC/Admin.(A)/2021 dated 14.06.2021 of the High Court of Uttarakhand, Nainital.

MAMTESH,

Relieving Officer.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on promotion)

June $\frac{14}{17}$, 2021

No.2787/UHC/Admin.A/2021--CERTIFIED that the charge of Office of the Section Officer, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 14.06.2021, in compliance of Notification 229/UHC/Admin.(A)/2021 dated 14.06.2021 of the High Court of Uttarakhand, Nainital.

JEETENDRA SINGH POKHARIYA,

Relieving Officer.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on promotion)

June $\frac{14}{17}$, 2021

No.2788/UHC/Admin.A/2021--CERTIFIED that the charge of Office of the Section Officer, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 14.06.2021, in compliance of Notification 229/UHC/Admin.(A)/2021 dated 14.06.2021 of the High Court of Uttarakhand, Nainital.

RAM SUDHAR VERMA,

Relieving Officer.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on promotion)

June 14/17, 2021

No.2789/UHC/Admin.A/2021--CERTIFIED that the charge of Office of the Section Officer, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 14.06.2021, in compliance of Notification 229/UHC/Admin.(A)/2021 dated 14.06.2021 of the High Court of Uttarakhand, Nainital.

BHUWAN CHANDRA PATHAK,

Relieving Officer.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Taking Over)

June 17, 2021

No. 2797/UHC/Admin.(A)/2021--In terms of Notification No. 219/UHC/Admin. (A)/2021 dated June 9, 2021 read with Corrigendum No. 223/UHC/Admin.(A)/2021 dated June 9, 2021, the charge of the office of Chief Protocol Officer, High Court of Uttarakhand at Nainital is taken over in the forenoon of June 10, 2021.

HUSAIN AHMED,

Relieving Officer.

Counter Signed,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand Nainital.

कार्यालय अभिहित अधिकारी/उप जिलाधिकारी, घनसाली, जनपद टिहरी गढ़वाल,

सूचना

24 मई, 2021 ई0

उत्तराखण्ड की भीषण आपदा दिनांक 07.02.2021 में लापता व्यक्तियों हेतु मृत्यु की पंजीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

संख्या– 984/आर.ए./दैवी आपदा/लापता/2021– श्री शीशराम घिल्डियाल पुत्र शिवानन्द, निवासी ग्राम खाल पाली, पटटी कोटी फैगुल, पोस्ट मगरों तहसील घनसाली, टिहरी गढ़वाल के द्वारा अपने पुत्र श्री शुभमं घिल्डियाल पुत्र श्री शीशराम घिल्डियाल निवासी ग्राम खाल पाली, पटटी कोटी फैगुल, पोस्ट मगरों तहसील घनसाली के दिनांक 07.02.2021 को जनपद चमोली के तपोवन जोशीमठ मे हुयी आपदा में लापता होने का दावा प्रस्तुत किया गया है।

शासनादेश संख्या 259/xxvii–1/01(12) 2021 दिनांक 21.02.2021 के प्रस्तर 5 के उपबन्ध 6 एंवं 7 के अनुसार लापता श्री शुभमं घिल्डियाल, पुत्र श्री शीश राम घिल्डियाल निवासी ग्राम खाल पाली, पटटी कोटी फैगुल, पोस्ट मगरौं, तहसील घनसाली टिहरी गढ़वाल के सम्बन्ध में जिस किसी को भी कोई जानकारी हो तो तीस दिन (01 माह) से पूर्व कार्यालय उप जिलाधिकारी घनसाली/अभिहीत अधिकारी, घनसाली में लिखित/मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते है। लापता का विवरण निम्नवत है:–

1– लापता व्यक्ति का नाम– श्री शुभमं घिल्डियाल
2– पिता का नाम–– श्री शीशराम घिल्डियाल
3– माता का नाम–– श्रीमती विमला देवी
4– जन्म तिथि–– 07.05.1997
5–स्थाई निवास का पता–– ग्राम खाल पाली,पटटी कोटी फैगुल, पोस्ट मगरों तहसील घनसाली ।
6– आपदा प्रभावित क्षेत्र का पता –– तपोवन जोशीमठ जनपद चमोली।
7–आपदा का दिनांक–07.02.2021

फिंचा राम चौहान,
अभिहीत अधिकारी/उप जिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल।

दिनांक : 24.05.2021

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/265–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जुलाई, 2021 ई0 (आषाढ़ 19, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पुत्र के शैक्षिक प्रमाणपत्रों में त्रुटि से नाम नयन दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम नयन शंकर गुप्ता है। भविष्य में मेरे पुत्र को नयन शंकर गुप्ता पुत्र अंजू गुप्ता पत्नी विक्रम गुप्ता के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अंजू गुप्ता पत्नी विक्रम गुप्ता
निवासी ग्राम माजरा मलकपुर
लतीफपुर, हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग–उत्तराखण्ड)

नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि–प्रस्तावित उपविधि

29 जनवरी, 2021 ई0

पत्रांक– 561/21–28(उपविधियां)/2020–21– उत्तराखण्ड (नगर पालिका अधिनियम 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2007 की धारा 298 'झ' (घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3, 6 एवं 25, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनायी गयी "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 15 (ण), 15 (च) एवं 15 (यच) तथा उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना अधिनियम–2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि जनपद–रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए अपने सीमान्तर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019" बनायी गई है जिसे नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–3(1) की उपधारा–1 के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र मे उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि को प्रेषित की जा सकेंगीं, बाद मियाद प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) ये उप-नियम नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये उप-नियम नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2016, गजट नोटिफिकेशन 25 मार्च 2017 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम, 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप-नियम नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पतियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उस से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा

अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पंचायत/पालिका के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तगत किया जाना हैं।

(छ)"सामुदायिक कूडा घर '(ढलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत/पालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज)"कंटेनराइज्ड हैडकार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत/पालिका या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसैंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसैंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)" का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

(ठ) "कूडा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुलकर, रिसकर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुँचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुलकर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसीभाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट् सभी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूजडेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पंचायत/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा समय≤ पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) "खाली प्लाट " का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिम पूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय≤ पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(पप) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहित करे निम्नाकित 3 वर्गो मेंः-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिम पूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण कैंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-

हराः-जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः-गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

कालाः-घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथा संभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारा बंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेर्गे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथा संभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत के भागीदारी सें, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहित करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथा संभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग-अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(अपपप) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रिया कलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेर्ट, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत के निर्देशो के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(गप) घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(गपप) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(गपपप) बायोमेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिम पूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(गपअ) निर्दिष्ट बूचड खानों और बाजारों को छोडकर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(गअ) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंचायत श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहंुचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः-

(प) नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्व क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यत या प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय परहोगा।

(पपप) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उल्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(पअ)सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(अपप) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात हो पर/आॅटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा।कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे आॅटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैवअपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिडउ पकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हार्ॅन भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्गमें रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गपप) तंग गलियों में, जहां आटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्री व्हीलर अथवा छोटे वाहन/ साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होगें। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(गपपप) अत्यंत भीड-भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों अथवा पहाडी पैदल रास्तो में जहां थ्री व्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से या कार्य करवाया जायेगा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्री व्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गअ) आॅटो टिप्पर, थ्री व्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(गअप) नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या

चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(प्रप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिम पूर्ण कचरा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-

- हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए
- कालाः घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(पअ) नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस-पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग-अलग रंगो के होगे।

(अप) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(अपपप) सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(पग) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(ग) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकतें है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पंचायत से अधिकृत कचरा व्यापारियों को

पूर्व अधिसूचित दरो के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाइकिल योग्य कचरे को एस डब्ल्यू एम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते हंै।अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहाँ निर्दिष्ट घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथा सम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भली-भांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभावमुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(पप) नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आसपास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुँचाया जाएगा।

(पअ) जहाँ कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(अ) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा।

(अप) निर्माण और विध्वंसजन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(अपप) नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा।गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(अपपप) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सकें।

(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कहीं प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(गप) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्राँसफर स्टेशन को हुक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(गपप) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न ôोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(गपअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाए अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(गअ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट आटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे आटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिस हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(गअग) नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-

(प) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूजडेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीडस्टाक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(पप) नगर पंचायत रिफ्यूजडेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(पअ) नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रिसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश:-

(प) नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वार बंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथा संभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले

अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(पप) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(पपप) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथा संभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(पअ) नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैसउत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा।परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आस-पास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्व ढाँचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उत्सजकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत आॅनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 11महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दंड:-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चैकी, थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियो ंको भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व:-

(प) कूडा फैंकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना: अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा।कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केन्द्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना: अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना:किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैंकेगा।

(घ) माल वाहक वाहन से गंदगी डालना: कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य माल वाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया होता किस डक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी: कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान: कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(पप) कचरे को जलाना:सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

(पपप) "स्वच्छ क्षेत्र": प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें प्रशासन/ पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(अ) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुँचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाए प्राप्त करना चाहते हांे, तो उन्हे नगर पंचायत के सम्बद्व जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

(क) नगर पंचायत किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है:-

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और

(पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रांड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रांड मालिको को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रांड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल

किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रांड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पंचायत के दायित्व:

(प) नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुँचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

(पप) नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आस-पास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती युक्ति संगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर पंचायत जहां तक सम्भव हो अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा, जिन से झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(अपपप) नगर पंचायत कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का ôोत पर ही उपचार करे। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्व वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(पग)नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(ग) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(गप) नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(गपप) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैन्डफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(गपअ) नियमित जांच: अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(गअ) नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कालसेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(गअप) नगर पंचायत एस डब्ल्यू एम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(गअपप) पारदर्शिता और सार्वजनिक पंहुच:अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(गअपपप) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गयेहैं।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय: नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

क्र.सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	रु 30.00प्रतिमाह
2.	गरीबी रेखा से उपर एवं मध्यम आय वर्ग के मकान/ परिवार	रु 50.00प्रतिमाह
3.	उच्च वर्ग के परिवार/मकान	रु 100.00प्रतिमाह
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	रु 10.00 ठेली पर फेरी में प्रतिदिन,
		रु 20.00 दुकान एवं फड़ पर प्रतिदिन
5	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 50 रू0 10 कि0ग्रा0 तक उससे अधिक पर रू0 रू0 1 प्रति कि.ग्र. प्रतिदिन अतिरिक्त
6	रेस्टोरेन्ट	रू 200.00 प्रति माह छोटे रेस्टोरेन्ट
		रू 400.00 प्रतिमाह मध्यम रेस्टोरेन्ट
		रू 1000.00 प्रति माह बडे रेस्टोरेन्ट
7.	होटल/ लाजिंग /गेस्ट हाऊस	रू 200.00 प्रतिमाह 20 बेड तक प्रतिमाह
		रू 500.00 प्रतिमाह 21 से 40 बेड तक प्रतिमाह
		रू 200.00 प्रतिमाह 40 से 100 बेड तक तथा 100 से अधिक बेड पर प्रतिबेड रू0 10 अतिरिक्त
8.	धर्मशाला	रु 5 प्रति कमरा प्रतिमाह
9.	बरातघर(चेरिटेबिल)	रु 500.00 प्रति उत्सव / समारोह
	बरातघर(नान -चेरिटेबिल)	रु 2000.00 प्रति उत्सव / समारोह
10.	बेकरी	रु 150.00प्रतिमाह
11.	कार्यालय / बैंक	रु 200.00प्रतिमाह 50 कर्मचारियो तक
		रु 500.00प्रतिमाह 51 से 100 कर्मचारियो तक
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(आवासीय)	रू 1000 प्रतिमाह 50 बेड तक उससे अधिक रू0 10 प्रति बेड अतिरिक्त
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)	रू 500 प्रतिमाह 1000 विद्यार्थियों तक उससे अधिक पर रू0 2000 प्रतिमाह
14.	हास्पिटल/नर्सिगहोम (बायोमेडिकल वेस्टको छोडकर)	रू 1000 प्रतिमाह 20 बेड तक
		रू 2000 प्रतिमाह 21 से 40 बेड तक उससे अधिक रू0 20 बेड प्रति
15	क्लीनिक/पैथोलोजी	रु100.00 क्लीनिक, रु 300.00 पैथोलोजी
16.	चाय की दुकान /दुकान	रु 50.00 प्रतिमाह छोटी दुकान, बाजार की दुकान रू0 100 प्रतिमाह, शोरूम रू0 200 बडी दुकान 500 बहुमंजिला दुकाने/माल 1000 प्रतिमाह बडी दुकान

17	फैक्ट्री	रु 1000.00 प्रतिमाह छोटी रू0 2000 मध्यम व रू 1000.00 प्रतिमाह बडी
18.	वर्कशाप	रु 150.00 प्रतिमाह छोटा रू 300.00 प्रतिमाह बडा
19.	कबाडी	रु 200.00 प्रतिमाह छोटा रू 500.00 प्रतिमाह बडा
20.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु 20.00 प्रतिदिन ठेली/फड रू 1000.00 प्रति माह दुकान
21.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रू 500.00 प्रति दिन होटल रू 1000.00 प्रति दिन वेडिंग प्वाइंट रू 2000.00 प्रतिदिन सार्वजनिक/निजी स्थल पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन
22.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	रु 200.00, 0.50 घन मी0 तक, 1.00 घन मी0, तक रु 400.00, 6.00 घन मीं तक रु 1000.00 व उससे अधिक रू0 200 प्रति घनमीटर अतिरिक्त
23.	सिनेमाहाल	रु 1000.00 प्रतिमाह
24.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	रु 200.00 से रु 2000.00 तक
25.	नगर पंचायत/पालिका की सीमा मे स्थित होटलों मे ठहरने वाले पर्यटकों पर सफाईकर	होटल रूम किराया की कुल लागत 10 प्रतिशत प्रतिदिन सफाईकर देय होगा।

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्रसं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जब्रेटर	200 500
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	10,000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000

			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500
			फिश, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	500
	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1.कूडा फैकना, थूकना	उल्घंनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उतराखण्ड कूडा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2.नहाना, पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहा		500
2.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(1) (ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200
			गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	500
3.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(1) (ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000
			गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	5000
4.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसी कृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	5,000
6.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे कोपृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200

7.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडक गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मलत्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	10,000
			बाजार एसोसिएशन, संघ	20,000
9.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसारकचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	25,000
			रेस्टोरेंट	15,000
11.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रांड आनर/स्वामी	1,00,000
12.	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्राड स्वामी और विपणन कंपनियां	50,000
13	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी या मार्केट काम्पलेक्स आदि	50,000
14	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/ चालक	1000
15	एस.डब्ल्यू.एम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पंचायत की उप विधि को होटल/ अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/ अतिथि गृह स्वामी	1000
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस, मेले,		

		राजनैतिक रैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधिर्यो के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता।	आयोजनकर्ता	5000

हरेन्द्र सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि।

अरूणा देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि।

नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि जनपद–रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

सार्वजनिक सूचना

29 जनवरी, 2021 ई0

पत्रांक– 561/21–28(उपविधियां)/2020–21–नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि जनपद–रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अगस्त्यमुनि द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020" बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र मे उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि जनपद–रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एव सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) **ये उप-नियम नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) ''फीकलस्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2020'' कहलायेगा।**

(2) ये उप-नियम नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप-नियम नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है और परिवार और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

इस पहलू को संबोधित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है ''राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति'' वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही साथ फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया जाये।

शहरी नीति का मुख्य उद्धेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था। एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों में नगर और शहरों में बनी रह सके।

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः

मा0 हरित प्राधिकरण न्यायालय के आदेश सं0 10/2015 दिनांक 10.12.2015 ने निम्न निर्देश निर्गत किये है जो कि उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। ''उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेंसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायोडाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्धेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर पालिका की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकोलसेप्टेज प्रबंध के लिए तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/IV(2)-श॰वि॰-2017 -50 (सा॰)/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकलस्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा-निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य और शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड), जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 597/IV(2)-श॰वि॰-2017-50(सा॰)/16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकलस्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकलस्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत हैः

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे।
- जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहनः

1. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।
2. फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिहवन हेतु इस्तेमाल किये जायेगें फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल स्लज और सेप्टेज के सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमैन्ट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर का अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अंतर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 मे परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

5. सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा, दियर का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित है।
2. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें किः

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गेयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन लोपस, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते है। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य. धूम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्यधिक भार हेतु है या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6. **सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः**

6.1 नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ.	प्रारंभिक पंजीकरण	:	रू0 3000.00 प्रति गाड़ी
ब.	नवीनीकरण	:	रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
स.	नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	:	रू0 1,500.00 प्रति गाड़ी
द.	अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार	:	रू0 1,500.00 प्रति गाड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेंगी)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है निकाय के बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है।

7. **उपभोक्ता लागत और इसका संचयः**

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि निकाय में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि निकाय कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 निकाय अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत को प्रत्यक्ष रूप से निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा या निकाय फंड में जमा किया जायेगा। सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब. निकाय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निकाय और अधिकृत फीकल सलज एवं सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकार देगा कि वह इसकी लागत वसूल करें और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स. उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना पड़ेगा।

सारणी 2: उपभोक्ता लागतः-

क्र.सं.	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है	मासिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा।

1	टीनशैड वाला मकान	1000	कम से कम 2-3 वर्ष में एक बार	50
2	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक 2 होते है	100
3	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा	125
4	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000	जाये कम से कम	250
5	बैंक	3500	प्रत्येक 2 वर्ष में एक	312
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000	बार जब टैंक का 2/3	500
7	रेस्टोरेन्ट	2000	भाग पहले भरा हो	500
8	होटल/गेस्ट हाउस 1-10 कमरें	3500		250
9	होटल अतिथि गृह 11-20 कमरें	4000		250
10	होटल अतिथी गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11	धर्मशाला 1-25 कमरें	3500		625
12	धर्मशाला 15 कमरें से ज्यादा	5000		200
13	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल/कॉलेज	2000		1000
16	निजी स्कूल/कॉलेज	2500		500
17	2 व्हीलर व्हीकल शोरूम	2000		625
18	4 व्हीलर वाहन शोरूम	2500		500
19	सिनेमा हॉल	3500		625
20	होटल 0-20 कमरें	3500		1250
21	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23	विवाह हॉल/बैंकेट हॉल	3500		1100
24	बार	3500		625
25	सरकारी अस्पताल	4000		625
26	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3000		500
27	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28	निजी अस्पताल 20 बिस्तर तक	3500		500
29	निजी अस्पताल 20 से 50 बिस्तर तक	4000		1250
30	निजी अस्पताल 50 विस्तर से अधिक	5000		1500

नोटः

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) द्वारा निर्णित किये जायेगें।
2. मल निस्तारण विशेष समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) द्वारा स्वीकृत है)।
3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ायी जायेगी।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देनाः

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/ नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या

सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) में जमा होगी।

8.3 नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज।

9. **दंड:**

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का/आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3 दंड

क्र.सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना	5000	10000	
5	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

यह उप-नियमावली नगर पंचायत,अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग(उत्तराखण्ड) के मा0 नगर पंचायत बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक 07.08.2020 में सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या-06 के द्वारा पारित की गयी।

हरेन्द्र सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि।

अरूणा देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/265–भाग–8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।